

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 67/2022  
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/83

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा हाल सिरौही बनाम  
(राज)


श्री संजय पुत्र श्री बाबुलाल पवार  
मैसर्स वाहन संख्या एमपी 43 एल  
2367 मैन रोड मस्जिद के पास,  
छोटी सरवन, बांसवाड़ा  
स्थायी निवासी – भुवासा, तहसील-  
बडनगर, जिला उज्जैन (म.प्र.)


अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 26-12-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा हाल सिरौही (राज.) के द्वारा दिनांक 29-11-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 26-08-2022 को 04.00 पी.एम. बजे बाहेंसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैन रोड मस्जिद के पास वाहन संख्या एमपी 43 एल 2367 पर पहुंचा। इस समय वहाँ पर श्री संजय पुत्र श्री बाबुलाल पवार उपस्थित थे। विक्रेता के वाहन का निरीक्षण करने पर वाहन में नमकीन (ब्राण्ड- रतलामी चस्का) 500-500 ग्राम के 60 पैक पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को विक्री हेतु रखे नमकीन (ब्राण्ड- रतलामी चस्का) 500 ग्राम के चार पैकेट को वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 280 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा नमकीन (ब्राण्ड- रतलामी चस्का) के चार मूल पैकेट के चार पैकेट को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जाँच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।



  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)





अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/299-300 दिनांक 16.09.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 756 दिनांक 12.09.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया नमकीन (ब्राण्ड- रतलामी चस्का) का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। अप्रार्थी द्वारा नमकीन (ब्राण्ड- रतलामी चस्का) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29-11-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 26.12.2022 को अभियुक्त श्री संजय पुत्र श्री बाबुलाल पवार मैसर्स वाहन संख्या एमपी 43 एल 2367 मैन रोड मस्जिद के पास, छोटी सरवन, बॉसवाडा स्थायी निवासी - भुवासा, तहसील- बडनगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/299-300 दिनांक 16.09.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 756 दिनांक 12.09.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया नमकीन (ब्राण्ड- रतलामी चस्का) का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब



  
न्याय निर्णय अधिकारी  
(अति.जिला क्लर्क)  
बॉसवाडा (म.प्र.)

किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड, violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया नमकीन (ब्राण्ड- रतलामी चस्का) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, 52 में जुर्माने का प्रावधान है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री संजय पुत्र श्री बाबुलाल पवार मैसर्स वाहन संख्या एमपी 43 एल 2367 मैन रोड मस्जिद के पास, छोटी सरवन, बॉसवाडा स्थायी निवासी - भुवासा, तहसील- बडनगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) को रूपये 10,000/- (अक्षरे रू दस हजार मात्र), के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 26-12-2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



नरेश बुनकर  
(नरेश बुनकर)  
न्याय-निर्णयन अधिकारी  
(अति-जिला, कलक्टर)  
बॉसवाडा (म.प्र.)  
बॉसवाडा